न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (UID No. RJ 00152)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 296/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 183/2025, आरक्षी केन्द्र सिणधरी,
CNR : RJBA010009002026

भूपाराम पुत्र घमण्डाराम, उम्र 36 वर्ष, निवासी लौलावा, पुलिस थाना सिणधरी, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

द्वितीय जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2025, पुलिस थाना सिणधरी से संबंधित इस न्यायालय का सेशन प्रकरण संख्या 04/2026, राज. राज्य बनाम भूपाराम, अपराध अंतर्गत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री राजीव सारण, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. श्री अमराराम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता परिवादिया की ओर से ।
3. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 22.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह **द्वितीय** जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी को इस प्रकरण में संदेह के आधार पर संलिप्त किया है । अभियोजन की ओर से कुल 09 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है,

जिनमें से पीडब्ल्यू 01 से पीडब्ल्यू 07 तक सभी गवाह पक्षद्रोही हुए हैं । परिवादिया पीडब्ल्यू 08 सविता ने भी जिरह में घटना घटित होना नहीं देखना कथन किया है । शेष अपरीक्षित गवाहों में सभी गवाह अनुश्रुत साक्षी एवं अनुसंधान से संबंधित साक्षी है । प्रार्थी दिनांक 30.09.2025 अभिरक्षा में है तथा किसी भी गवाह ने प्रार्थी द्वारा घटिना कारित करना नहीं बताया है । प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

3. विद्वान लोक अभियोजक व परिवादिया के अधिवक्ता ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध परिवादिया के पति चूनाराम की हत्या करने के गंभीर अपराध का आरोप है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त भूपाराम का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	थाना	चालान नं.	स्थिति
–	–	–	–	–	–

5. उभय पक्षकारान् द्वारा दिये गये तर्कों को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध परिवादिया के पति चूनाराम की हत्या का आरोप है । प्रकरण में अब तक कुल 09 गवाह परीक्षित हुए हैं, जिनमें से पीडब्ल्यू 01 से पीडब्ल्यू 07 सभी गवाह पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने मृतक को मिर्गी का दौरा आना एवं मिर्गी का दौरा आने से पत्थर पर गिरने से मृत्यु होना बताया है । पीडब्ल्यू 08 परिवादिया सविता घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है, जिसने भी उसकी जिरह में घटना घटित होना नहीं देखना बताया है तथा पीडब्ल्यू 09 डॉ. संदीप शव परीक्षण का गवाह होकर औपचारिक गवाह है । अन्य गवाहों में बताये गए गवाह श्रीमती गुमनीदेवी, बाबुलाल, किशनाराम व करणाराम घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं है तथा किशनाराम व करणाराम ने भी उनके घारा 183 बीएनएसएस के कथनों में मृतक को घूंटी(मिर्गी) आने से मृत्यु होना कथन किया है । अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने प्रार्थी द्वारा घटना कारित करना नहीं बताया है । प्रकरण के विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है । इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय** जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त भूपाराम की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय** जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत् पचास हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो मौतबीर जमानतें इस न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

7. आदेश आज दिनांक 22.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO

Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Date: 2026.06.23 07:53:04 +0530